अनुबंध

आधार प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11ए के तहत भारत सरकार के दिनांक 9 मई 2019 के परिपत्र 'एफ.एन.ओ.पी-12011/7/2019-ईएस सेल-डोर' के साथ पढ़ें।

cgmaml@rbi.org.in को ईमेल द्वारा

सेवा में
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन विभाग
व्यावसाय आचार समूह
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय
12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई-400 001

महोदय,

पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11ए के संदर्भ में आधार प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन, भारत सरकार के परिपत्र 'एफ.एन.ओ.पी-12011/7/2019-ईएस कक्ष - डीओआर' दिनांक 9 मई, 2019 के साथ पठित

हम धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11ए के साथ पठित “बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग के लिए भारत सरकार के 9 मई 2019 के परिपत्र जिसका शीर्षक है - "धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11ए के तहत आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया” और आरबीआई द्वारा जारी 13 सितंबर 2021 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी 48/14.01.001/2021-22 का सन्दर्भ देते हैं।

2. इस संबंध में, हम मौजूदा कानूनी और संविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में इसे करने के इच्छुक ग्राहकों का आधार प्रमाणीकरण करने के इच्छुक हैं।

इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारी संस्था को यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार प्रमाणीकरण लाइसेंस {केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) लाइसेंस} प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवेदन को संसाधित करें या यूआईडीएआई द्वारा जारी किए गए उप केयूए लाइसेंस केयूए के माध्यम से प्रमाणीकरण करें (लागू विकल्प चुनें और दूसरे को काट दें) ।

संलग्न सूचना पत्र के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. हम घोषणा करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन में दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सत्य है। प्रस्ताव को इस संबंध में अधिकार प्राप्त बोर्ड के, बोर्ड/उप-समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इस प्रयोजन के लिए अपनाया गया संकल्प संलग्न है। हम जानते हैं कि यदि यहां दी गई कोई भी जानकारी गलत/अपूर्ण/असत्य पाई जाती है, तो आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। हम यह भी घोषणा करते हैं कि इकाई के पास ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन हैं और नवीनतम लागू मानकों के अनुसार साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के उपाय हैं।

भवदीय,

(प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के हस्ताक्षर)

नाम	:	आधिकारिक मेल आईडी	:
पदनाम	:	फ़ोन	:
दिनांक	:	स्थान	:

<u>सूचना पत्रक</u>

<table>
<tr><th>सं.क्र.</th><th>विवरण</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>गैर-बैंक विनियमित संस्था का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>इकाई का प्रकार (एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता / भुगतान प्रणाली प्रतिभागी)</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>आरबीआई के साथ पंजीकरण की तिथि</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>आरबीआई पंजीकरण/लाइसेंस संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>पैन नंबर</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>जीएसटी नंबर</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>पंजीकृत कार्यालय का पता</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>पत्राचार हेतु पता</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>संपर्क व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (ईमेल, टेलीफोन)</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को निवल स्वामित्व निधि</td><td>रु. करोड़</td></tr>
<tr><td>11</td><td>पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को परिचालन के वर्षों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अंत में ग्राहकों की संख्या</td><td><table><tr><th>विव</th><th>ग्राहकों की संख्या</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>13</td><td>वर्तमान में ग्राहकों की पहचान स्थापित करने के लिए उपयोग की जा रही प्रक्रियाएं (जैसे आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, ऑफ़लाइन सत्यापन आदि)</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>इस उद्देश्य के लिए अपनाए गए बोर्ड के संकल्प / बोर्ड के उप-समिति की प्रति संलग्न करें अर्थात ई-केवाईसी लाइसेंस के लिए आवेदन के लिए</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>प्रधान अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">16</td><td>ए) उस तारीख को इंगित करें जब आरबीआई को अंतिम ऑफ-साइट रिटर्न दाखिल किया गया था</td><td></td></tr>
<tr><td>बी) क्या यह निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर किया गया था</td><td></td></tr>
<tr><td>ग) क्या संस्था इन विवरणी को दाखिल करने में नियमित रही है। यदि नहीं, तो उसके कारणों का उल्लेख करें</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए) उस तारीख को इंगित करें जब कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को अंतिम</td><td></td></tr>
</table>

17	विवरणी दाखिल / ई-फाइल किया गया था	
	बी) क्या यह निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर किया गया था	
	ग) क्या संस्था इन रिटर्न को दाखिल करने में नियमित रही है। यदि नहीं, तो उसके कारणों का उल्लेख करें	
18	पिछले 3 वर्षों में साइबर सुरक्षा उल्लंघन, यदि कोई हो, सहित डेटा उल्लंघन की घटनाओं का विवरण	
19	क्या आवेदक के खिलाफ पिछले तीन वर्षों में आरबीआई/सेबी द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है। यदि हां, तो कार्यवाही की स्थिति सहित विवरण प्रस्तुत करें और क्या दंड का भुगतान किया गया है।	
20	क्या संस्था यूआईडीएआई के डेटा सुरक्षा विनियम 2016 और गोपनीयता और सुरक्षा मानदंडों के संबंध में यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित मार्गदर्शन/परिपत्र के अनुपालन के मानकों को पूरा कर रही है।	
21	संस्था द्वारा कोई अन्य अवलोकन / स्वयं प्रकटीकरण	

भवदीय,

(अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के हस्ताक्षर)

नाम : आधिकारिक मेल आईडी :

पदनाम : फोन :

दिनांक : स्थान :